6116

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3,सुरक्षा) विभाग

क्रमांक :प. 4(13)कार्मिक / ख–3 / सु. / 2005 जयपुर ,दिनांक 27 FEB 2013

परिपत्र

विषय :– सचिवालय परिसर में वाहनों का आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था ।

शासन सचिवालय परिसर में वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में दिनांक 11 जनवरी, 2007, 19 जनवरी, 2007, 27 जनवरी, 2007 एवं 09 अगस्त 2012 को परिपत्र जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार माननीय मंत्रीगण / उच्चाधिकारीगण को उनके वाहन– चालकों द्वारा निर्धारित स्थल पर छोड़ा जाकर वाहन को भूमिगत पार्किंग में पार्क किया जाना है एवं माननीय मंत्रीगण एवं उच्चाधिकारीगण के कार्यालय प्रस्थान के समय माईक एवं सूचना प्रणाली द्वारा वाहनों को निर्धारित स्थल पर बुलवाये जाने की व्यवस्था है। ऐसा देखने में आया है कि माननीय मंत्रीगण / उच्चाधिकारीगण के कार्यालय से प्रस्थान करने से काफी समय पूर्व ही वाहनों को निर्धारित स्थानों पर मंगवा लिया जाता है जिससे भवनों के प्रवेश द्वारों के आस–पास अनावश्यक रूप से वाहन खडे पाये जाते हैं । विशेष रूप से सायंकाल में पाया गया है कि सचिवालय परिसर में वाहन 6.00 बजे के स्थान पर 5.00 बजे ही आकर मुख्य भवन व अन्य भवनों के सामने खडे हो जाते हैं तथा देर तक खडे रहते हैं, जो उचित नहीं हैं।

अतः मंत्रीगण / अधिकारीगण के निजी स्टाफ से अनुरोध है कि आवश्यक होने की स्थिति में मुख्य भवन व अन्य भवनों के सामने सायं 6.00 बजे पश्चात ही वाहन को पार्क करवाया जावे ! इससे पूर्व माननीय मंत्रीगण / अधिकारीगण के कार्यालय से प्रस्थान हेतु वाहनों को वास्तविक प्रस्थान के समय ही बुलाया जावे और यह सुनिश्चित किया जावे कि बुलाने के बाद कोई भी वाहन पांच मिनट से अधिक समय तक खडा नहीं रहे ।

25.2.2013

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान , जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिवगण ।
3. पुलिस महानिदेशक, जयपुर ।
4. निजी सचिव, समस्त अति.मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव ।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्तगण ।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेंज ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्य मंत्री सुरक्षा एवं विजिलेन्स ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हेतु प्रेषित हैं।
9. समस्त जिला कलेक्टर ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष ।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक ।
12. समस्त शासन उप सचिव ।
13. उप निदेशक,सांख्यिकी, मुख्य मंत्री कार्यालय ।
14. समस्त सहायक शासन सचिव / अनुभागाधिकारी ।
15. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
16. नोटिस बोर्ड ।

शासन उप सचिव